न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–16/2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–28.03.2023
निर्णय दिनांक–06.09.2024

रामदयाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र शीट दुरूस्ती किये जाने बाबत्

अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सेग्रीगेशन के समय की गई शीट गलत तरमीम है, क्योंकि खसरा नम्बर 530 नक्शा शीट में एक ही नम्बर था। प्रार्थी के नाम ख0न0 530/6 की भूमि है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का कब्जा मौके पर तालाब की पाल व रास्ते के लगवा है, लेकिन जो सेग्रीगेशन के समय तरमीम की गई है। वह राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना मौका देखे व बिना साक्ष्य लिए ही कब्जे के विपरित स्थान पर ख0न0 530/6 की तरमीम कर दी गई, जो गलत है। जबकि प्रार्थी उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज होकर खेत बनाकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा तालाब की पाल व रास्ते के लगवा है तथा इसी स्थान पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौका व कब्जा देखे ही गलत रूप से दूसरी जगह तरमीम कर दी गई है। प्रार्थी को अपनी भूमि की नक्शा ट्रेस निकलवाने पर त्रुटीपूर्ण तरमीम की जानकारी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की आवेदक का प्रार्थना पत्र शीट दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा की सेग्रीगेशन की शीट में की गई गलत तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार नक्शा शीट में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है, जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 418 दिनांक 30.08.2024 से प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम हरिपुरा के आराजी ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. रामदयाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है व ख0न0 530/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। सेग्रीगेशन के दौरान ख0न0 530/6 की तरमीम ख0न0 530/5 के लगवा दक्षिण की तरफ कर दी गई थी। जहां पर उक्त खातेदार का कब्जा काश्त नही होना पाया गया। उक्त खातेदार का वर्तमान में मौके पर ख0न0 530/2 में कब्जा काश्त है, जो की सिवायचक है। उक्त ख0न0 530/2 में खातेदार का कब्जा ख0न0 530/4 के पूर्व की तरफ तथा गै.मु. रास्ता ख0न0 1068 तथा गै.मु. पाल के बीच स्थित है। संलग्न नक्शा शीट में प्रस्तावित ख0न0 530/6 की खातेदार के कब्जे अनुसार तरमीम व ख0न0 530/8 रकबा 0.2529 हैक्ट. की प्रस्तावित तरमीम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड सिवायचक खाते में शामिल किया जाना उचित है।

प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा, जो प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सेग्रीगेशन के समय की गई शीट गलत तरमीम है, क्योंकि खसरा नम्बर 530 नक्शा शीट में एक ही नम्बर था। प्रार्थी के नाम ख0न0 530/6 की भूमि है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का कब्जा मौके पर तालाब की पाल व रास्ते के लगवा है, लेकिन जो सेग्रीगेशन के समय तरमीम की गई है। वह राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना मौका देखे व बिना साक्ष्य लिए ही कब्जे के विपरित स्थान पर ख0न0 530/6 की तरमीम कर दी गई, जो गलत है। जबकि प्रार्थी उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज होकर खेत बनाकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः आवेदक का आवेदन बाबत् शीट दुरुस्ती स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा की सेग्रीगेशन की शीट में की गई गलत तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार नक्शा शीट में तरमीम की जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 ग्राम हरिपुरा के आराजी ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. रामदयाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है व ख0न0 530/2 रकबा 0.5058 हैक्ट. सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। सेग्रीगेशन के दौरान ख0न0 530/6 की तरमीम ख0न0 530/5 के लगवा दक्षिण की तरफ कर दी गई थी। जहां पर उक्त खातेदार का कब्जा काश्त नही होना पाया गया। उक्त खातेदार का वर्तमान में मौके पर ख0न0 530/2 में कब्जा काश्त है, जो की सिवायचक है। उक्त ख0न0 530/2 में खातेदार का कब्जा ख0न0 530/4 के पूर्व की तरफ तथा गै.मु. रास्ता ख0न0 1068 तथा गै.मु. पाल के बीच स्थित है। संलग्न नक्शा शीट में प्रस्तावित ख0न0 530/6 की खातेदार के कब्जे अनुसार तरमीम व ख0न0 530/8 रकबा 0.2529 हैक्ट. की प्रस्तावित तरमीम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड सिवायचक खाते में शामिल किया जाना उचित है। उक्त त्रुटी एक संहवनीय त्रुटी है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई व पत्रावली में प्रस्तुत पूर्व नक्शा शीट एवं हाल नक्शा शीट एवं अप्रार्थी हसीलदार पीपलू के जवाब के अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी की ातेदारी भूमि ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा की हाल ही में डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट जो तरमीम की गई है। वह त्रुटीपूर्ण है। उक्त त्रुटीपूर्ण राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान संहवन से ना स्पष्ट हैं। तहसीलदार पीपलू ने भी अपनी बहस में उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम को स्वीकार किया है व संलग्न स्तावित नक्शा शीट अनुसार दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्तुत आवेदन बाबत् नक्शा शीट दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर भूमि राजी ख0न0 530/6 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा की हाल में डी.आई.एल. र.एम.पी. शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को निरस्त करते हुए संलग्न नजरी नक्शा अनुसार व मौके पर कब्जे ाश्त अनुसार तरमीम संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पीपलू ख0न0 530/6 रकबा 2529 हैक्ट. वाके ग्राम हरिपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा की नक्शा शीट (डिजिटल शीट) प्रस्तावित नक्शा शीट व के पर कब्जे काश्त अनुसार तरमीम करे। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे जलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

([illegible] शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)